न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 31/2013 **दायर दिनांकः 21.03.2013**

उनवान

1. सौभागमल आ० फूलचन्द जाति महाजन नि. कोटडी हाल सुनेल तहसील पिडावा

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक—

अभिभाषक वादी — श्री हुकुमचन्द कुमावत

प्रतिवादी सं. 1 — पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

निर्णय दिनांक : 24.12.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम कोटडी तहसील पिडावा की जमाबंदी संख्या 90/1 व खतौनी संख्या 96 की आराजी ख.न. 672/1 की 12 बिस्वा भूमि जो वर्तमान में खाता नम्बर 1 के ख.न. 758 की 3 बिस्वा ख.न. 759 की 1 बिस्वा व ख.न. 760 की 9 बिस्वा जो अभी वर्तमान मे पडत सरकार है। यह कि सेटलमेंट से पूर्व वादी के खाते इंतकाल न. 84 से दिनांक 30.12.1965 को श्रीमान तहसीलदार पिडावा द्वारा तस्दीक किया गया इसके पश्चात उक्त भूमि प्रार्थी के पिता फूलचन्दजी के नाम ग्राम कोटडी की जमाबंदी संख्या 90/1 खतौनी संख्या 96 मे दर्ज रिकार्ड एवं कब्जेकाश्त मे चली आ रही है। अतः [illegible] यह आराजी विवादग्रस्त मानी जायेगी। (नकल जमाबंदी [illegible] की संलग्न है)। यह कि विवादग्रस्त आराजी वाद के पेरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 14:04:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

सरकारी रेकार्ड मे पडत सरकार है। जो सवत 2022–2025 मे सेटलमेट से पूर्व यह आराजी वादी के पिता फूलचन्द आ० घनराज जाति महाजन निवासी कोटडी खातेदारी व कब्जे काश्त में दिनांक 30.12.1965 से पूर्व से चली आ रही है। उक्त आराजी पर प्रार्थी वर्ष से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। तथा पश्चात उनके लडके सौभागमल के कब्जे काश्त में आज तक चली आ रही है। वादी के पिता 45–46 फूलचन्दजी की मृत्यु के पश्चात उनके लडके सौभागमल के कब्जे काश्त में आज तक चली आ रही है। यह कि सेटलमेंट के समय सवत 2022 में गलत ढंग से उक्त भूमि मेरे पिता के खाते से हटाकर यह आराजी पडत सरकार कर दी है जिसका की उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसकी वजह से वादी वाद के पेरा नम्बर 1 में वर्णित आराजियात को पुनः वादी को खातेदार धोषित कर अलग से खाते बंधवाने का अधिकारी है। यह कि वादी द्वारा उपरोक्त आराजी का खातेदार घोषित करवाने का दफा 80 (2) जा.दी. का नोटिस जिला कलेक्टर महोदय झालावाड व श्रीमान तहसीलदार साहब पिडावा को रजिस्ट्रर्ड नोटिस दिया था जो उन्हे प्राप्त हो गया है किन्तु नोटिस मिलने के पश्चात भी कोई कार्यवाही नहीं किये जोन के कारण वाद कारण दिनांक 22.02.2013 को उत्पन्न हुआ । इस कारण प्रार्थी/वादी द्वारा खातेदारी घोषित करवाये जाने का वाद प्रस्तुत करना पड़ा (नोटिस व नोटिस देने की पोस्ट आफिस की रसीद व प्राप्ति रसीद सलग्न है)। यह कि दावा श्रीमान के श्रवणयोग्य होकर उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा प्रार्थी/वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिग्री फरमाये जाने की कृपा करे।

(अ) यह कि वाके ग्राम कोटडी तहसील पिडावा की आराजी ख.न. पुरानी 672/1 की 12 बिस्वा जो वर्तमान में खाता स. 1 के ख.न. 758, 759, 760 कुल 12 बिस्वा जमीन वादी की खातेदारी घोषित किये जाने की डिग्री वादी के पक्ष में दिये जाने की कृपा करे।

(ब) यह कि अन्य दादरसी जो बाईसाफ्त बा मजीद वादी को दिलवाये जाने की कृपा करे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि बिन्दू संख्या 1 रिकार्ड पर आधारित है। सेटलमेंट पुर्व सम्वत 2022–2025 जमाबंदी जो पत्रावली पर उपलब्ध है कथन सही है परन्तु ग्राम कोटडी में वर्तमान में खाता न. 1 के ख.न. 758 रकबा 0–03, ख.न. 759 रकबा 0–01 ख.न. 760 रकबा 0–03 बीघा की दर्ज रेकार्ड जबकि वादी ने ख.न. 760 का रकबा 0–09 बीघा अंकित कर रखी है उक्त वर्णित खं.स. 760 रकबा 0–09 बीघा मे से बटा न. 1341/760 रकबा 0–06 बीघा रामलाल गंगाबाई, रोशनबाई पिता गोर्वधन जाति नाई नि. देह खातेदार नाम दर्ज रिकार्ड हे नकल जमाबंदी सम्वत 2067–2070 संलग्न है। बिन्दु सं. 2 पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्मत 2022–2025 में खाता स. 96 ख.न. 672/1 की 12 बिस्वा भूमि वादी के पिता श्री फूलचंद आत्मन धनराज जाति महाजन निवासी कोटडी के नाम दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्राफल से पुराने ख. न. 672/1 रकबा 0–12 बीघा के नवीन ख.नं. 758 रकबा 0–03, ख.नं. 759 रकबा 0–01, ख.नं. 760 रकबा 0–09 बीघा बनते है। जो बिना नाम पड़त सरकार सेटलमेंट में दर्ज हुए है ततपश्चात ख.न. 760 रकबा 0–06 बीघा श्री रामलाल गंगाबाई, रोशनबाई पिता गोरधन नाई के नाम दर्ज हुआ है शेष रकबा बिना नाम सरकार बदस्तूर है एवं जाँच मौका अनुसार पड़त खाली पडी है पडोसियान के अनुसार कब्जा वादी का होना पाया गया है। पर्चा मोका दिनांक 26.05.2016 संलग्न है। बिन्दू सं. 3 कानूनी पहलू है। जो न्यायालय क्षेत्राधिकार में है। बिन्दू नं. 4 कानूनी पहलू है जो न्यायालय क्षेत्राधिकार में है। बिन्दू सं. 5 कानूनी पहलू है जो न्यायालय क्षेत्रााधिकार में है। उक्त जवाब पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व मोका निरक्षण के अनुसार तैयार किया गया है।

3. वाद के शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु [illegible] एवं जवाब दावा के अवलोकन के आधार पर निम्न तनकीयात/विवाद बिन्दु कायम की गई –

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी नं. 1– आया वादोक्त भूमि वादी के पिता के खातेदारी एवं कब्जे की रही है।

जिम्मे वादी

तनकी नं. 2– आया सम्बत् 2022 के पश्चात वादोक्त भूमि गलत प्रविष्ठि द्वारा वादी के पिता के खातेदारी से पड़त सरकार दर्ज की गई है।

जिम्मे वादी

तनकी नं. 3– आया आराजी खसरा नं. 758, 759, 780 ग्राम कोटडी का वादी खातेदार घोषित होने का पात्र है।

जिम्मे वादी

तनकी नं. 4– आया खसरा नं. 780 रकबा 0–09 बीघा वर्तमान में खातेदार रामलाल गंगाबाई, रोशनबाई के खाते में दर्ज रकबा 0–06 बीघा है। शेष 0–03 बीघा भूमि खाता सरकार है।

जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नं. 5– आयाा खसरा 758, 759 व 760 के शेष रकबा भूमि पर जांच के आधार पर कब्जा वादी का है परन्तु भूमि बिना नाम सरकार दर्ज है।

जिम्मे प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

4. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कोटडी का नामा.सं. 84 दिनांक 30.12.1965 प्रदर्श 1, खाता सं. 90/1 की जमाबंदी सं. 2022–25 प्रदर्श 2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 3, नोटिस प्रदर्श 4, पोस्ट आफिस की एडी रसीद प्रदर्श 5, पोस्ट आफिस की प्राप्ति रसीद प्रदर्श 6, ग्राम कोटडी के खाता सं. 1 जमाबंदी सं. 2067–70 प्रदर्श 7, नक्शा किश्तवार प्रदर्श 8, खाता सं. 90/1 की जमाबंदी सं. 2022–25, खाता सं. 249 की जमाबंदी सं. 2022–41 प्रदर्श 9, जमाबंदी किता 2 प्रदर्श 10 व 11, खाता सं. 1 की जमाबंदी सं. 2034–37 प्रदर्श 12, खाता [illegible] की जमाबंदी सं. 2067–70 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में PW1 [illegible] फूलचन्द के बयान कराये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

5. पेरोकार सरकार/प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कोटडी के खाता सं. 1 व 481 जमाबंदी सं. 2067–70, मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 26.05.2016, मौका रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025, खसरा नक्शा दिनांक 02.01.2025, खाता सं. 1 जमाबंदी सं. 2071–74, गुगल फोटोग्राफस पेश किये।

6. अभिभाषक वादी एवं पेरोकार सरकार उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है –

तनकी नं. 1– आया वादोक्त भूमि वादी के पिता के खातेदारी एवं कब्जे की रही है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा पेश ग्राम कोटडी तहसील पिडावा के नामा.सं. 84 प्रदर्श 1 के अनुसार ग्राम कोटडी के साबिक ख.नं. 672/1 में से 0–12 बीघा भूमि का नामान्तरण ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 23.04.1964 को पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर का बताकर तहसील में पेश करने के निर्देश दिये गये जिस पर तहसीलदार पिडावा द्वारा दिनांक 30.12.1965 को मि.नं. 24/27/136 दिनांक 19.06.1963 के आधार पर फूलचन्द पि. धनराज महाजन के नाम खातेदारी मंजूर कर नामान्तरण स्वीकृत किया गया था। वादी द्वारा पेश जमाबंदी सं. 2022–25 प्रदर्श 2 के अनुसार खाता सं. 90/1 साबिक ख.नं. 672/1 रकबा 0–12 बीघा भूमि फूलचन्द पि. धनराज महाजन के नाम खातेदारी में दर्ज था। वादी द्वारा मि.नं. 24/27/136 दिनांक 19.06.1963 की प्रति रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं होने से पेश नहीं करने का कथन किया है। उक्त मिसल सेटलमेंट से पूर्व की है। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब मय पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.05.2016 में स्वयं स्वीकार किया है कि साबिक ख.नं. 672/1 रकबा 0–12 बीघा वादी के पिता के नाम दर्ज थी। वादग्रस्त आराजी के सेंटलमेंट विभाग के मिलान क्षेत्रफल प्र. 3 अवलोकन से स्पष्ट है कि गत ख.नं. 672 मिन रकबा 0–03 बीघा, 672 मिन रकबा 0–01 बीघा व 672 मिन रकबा 0–09 बीघा से सेटलमेंट के दौरान हाल ख.नं. 758

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0–03 बीघा, 759 रकबा 0–01 बीघा व 760 रकबा 0–09 बीघा बनाये गये। तहसीलदार पिडावा मय पटवारी रिपोर्ट दिनांक 26.05.2016 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 758, 759 व 760 पर वादी सौभगमल पि. फूलचन्द का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार तहसीलदार पिडावा की नवीन रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 के अनुसार वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर ग्रेवल डालकर कब्जा कर रखा है जिसके फोटोग्राफस भी पेश किये है। **अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तनकी नं. 1 वादी के पक्ष में साबित होती है।**

तनकी नं. 2– आया सम्बत् 2022 के पश्चात वादोक्त भूमि गलत प्रविष्ठि द्वारा वादी के पिता के खातेदारी से पड़त सरकार दर्ज की गई है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। यह सही है कि पिडावा तहसील में भू.प्रबंध विभाग का सर्वे रिसर्वे का कार्य सं. 2022 में यानि सन 1965 में शुरू हो गया था। भू.प्रबंध विभाग की जमाबंदी सं. 2022–41 प्रदर्श 9, 10, 11 के अनुसार हाल ख.नं. 760 रकबा 0–09 बीघा किस्म बंजड अव्वल, ख.नं. 759 रकबा 0–01 किस्म गे.मु.चाह एवं प्रदर्श 12 के अनुसार ख. नं. 758 रकबा 0–03 बीघा बीड प्रथम खाता सरकार सिवायचक लगानी भूमि दर्ज है। उक्त भूमि वादी के पिता फूलचन्द के खाते से खात सरकार किस प्राधिकारी के आदेश दर्ज की गई, रिकार्ड पेश नहीं है। सं. 2022–25 में वादग्रस्त भूमि वादी के पिता फूलचन्द का नाम दर्ज था। पेरोकार सरकार का कथन है कि सेटलमेंट के दौरान सेटलमेंट अधिकारी द्वारा सक्षम आदेश से ही वादी के पिता का नाम हटाया था। तहसीलदार ने ऐसे किसी आदेश के प्रति पेश नहीं की है। **वादी द्वारा अगली चौसाला जमाबंदियां सं. 2026–29, 2030–33, 2034–37 आदि की पेश नहीं की है जिनके अभाव में यह साबित नहीं हो पा रहा है कि सेंटलमेंट के दौरान वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड/जमाबंदी से हटाकर कब व कैसे खाता सरकार दर्ज किया गया। यह स्पष्ट है कि वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड सं. 2026 से 41 के बीच में हटाया गया है। राजस्व रिकार्ड से वादी के पिता का नाम डिलीट**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कर खाता सरकार दर्ज करना सेटलमेंट विभाग की त्रुटी है या किसी सक्षम आदेश से हटाया गया यह साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं है। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तनकी नं. 2 वादी के पक्ष में साबित नहीं होती है।

<u>तनकी नं. 3</u>– आया आराजी खसरा नं. 758, 759, 780 ग्राम कोटडी का वादी खातेदार घोषित होने का पात्र है। वादीगण द्वारा पेश जमाबंदी सं. 2067–70 के अनुसार हाल ख.नं. 759 रकबा 0–01 बीघा किस्म गे.मु.चाह, ख.नं. 758 रकबा 0–03 बीघा किस्म बीड प्रथम व ख.नं. 760 रकबा 0–03 किस्म बीड प्रथम सिवायचक लगानी खाता सरकार दर्ज है जबकि मूल ख.नं. 760 रकबा 0–09 बीघा में से 0–06 बीघा भूमि जरिये आवंटन आदेश रामलाल, गंगाबाई, रोशनबाई पिस. गोरधन जाति नाई के खाते दर्ज रिकार्ड है। पेरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा का कथन है कि वादी द्वारा ना तो मूल ख.नं. 760 में से भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा 0–06 भूमि का आवंटन करते समय कोई आपत्ति की गई थी और ना ही गैरखातेदारी से खातेदारी देते समय आपत्ति की गई। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से यह स्पष्ट नहीं है कि रामलाल, गंगाबाई, रोशनबाई पिस. गोरधन जाति नाई को कब भूमि आवंटन की गई और कब गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई। **एकतरफ तहसीलदार पिडावा द्वारा लंबे समय से वादी का कब्जा होना बताया है तो दूसरी तरफ ख.नं. 760 में से आवंटित भूमि हाल ख.नं. 1341/760 पर गैरखातदारो का कब्जा मानकर खातेदारी प्रदान की गई है। तहसीलदार के दोनो कथन विरोधाभासी है।** तनकी नं. 2 के विवेचन के आधार पर यह साबित नहीं है कि वादी के पिता फूलचन्द का नाम सं. 2022–25 की जमाबंदी के बाद किस आदेश से और कब डिलीट किया गया। वादी के पिता या वादी द्वारा नाम हटाने के आदेश की सक्षम न्यायालय में ततसमय अपील किये जाने का भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। वादी के पिता या वादी को सक्षम न्यायालय में अपील की जानी चाहिए थी लेकिन वादी द्वारा करीब 40 वर्षो के बाद यह घोषणा का वाद पेश किया गया है। 40 वर्षो की उक्त देरी का भी कोई संतोषजनक कारण वादी द्वारा वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड

Scanned with OKEN Scanner

में उल्लेखित नहीं किया गया है। **तहसीलदार पिडावा का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर कुछ वर्षो से अंगूरीबाला पत्नि प्रहलाद जाति तैली का अवैध कब्जा चला आ रहा है जिसके विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट में बेदखली की कार्यवाही की जारी है।** अतः साक्ष्य के अभाव में वादी को वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमी के रूप में माना जावेगा और वादी को कब्जा प्रतिकूल माना जावेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर साक्ष्य के अभाव में तनकी नं. 3 वादी के पक्ष में साबित नहीं होती है।

<u>तनकी नं. 4</u>– आया खसरा नं. 760 रकबा 0–09 बीघा वर्तमान में खातेदार रामलाल गंगाबाई, रोशनबाई के खाते में दर्ज रकबा 0–06 बीघा है। शेष 0–03 बीघा भूमि खाता सरकार है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी के पास है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सं. 2067–70 एवं सं. 2076 दिनांक 21.05.2024 के अनुसार हाल ख.नं. 758 रकबा 0.0379 है., ख. नं. 759 रकबा 0.0126 है. एवं ख.नं. 760 रकबा 0.0379 है. खाता सरकार दर्ज है जबकि ख.नं. 1341/760 रकबा 0–06 बीघा रामलाल गंगाबाई, रोशनबाई पिस गोरधन नाई के खाते दर्ज है। **अतः तनकी नं. 4 प्रतिवादी के पक्ष में साबित है।**

<u>तनकी नं. 5</u>– आयाा खसरा 758, 759 व 760 के शेष रकबा भूमि पर जांच के आधार पर कब्जा वादी का है परन्तु भूमि बिना नाम सरकार दर्ज है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पेरोकार सरकार का है। पेरोकार सरकार ने अपने जवाब दावा दिनांक 26.05.2016 में वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा बताया है। इसी प्रकार तहसीलदार की मौका रिपोट मय पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 में भी वादी सौभगमल का कब्जा बताया है लेकिन वादग्रस्त आराजी की खसरा गिरदावरी सं. 2078 से 2082 में अंगूरीबाला पत्नि प्रहलाद जाति तैली का अवैध कब्जा बताकर धारा 91 एल.आर.एक्ट में बेदखली की कार्यवाही की जारी होना जाहिर होता है। अतः पेरोकार सरकार के दोनो कथन विरोधाभासी है तथा तहसीलदार द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

झूंठी रिपोर्ट पेश किया जाना जाहिर होता है जिसके लिए संबंधित अधिकारी/कार्मिको से स्पष्टीकरण लिया जाना उचित होगा। अतः तनकी नं. 5 पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में प्रतिवादी के विरूद्ध साबित होती है।

7. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम कोटडी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 758, 759, 760 कुल रकबा 0–12 बीघा भूमि के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

8. परिणामतः ग्राम कोटडी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 758, 759, 760 कुल रकबा 0–12 बीघा भूमि के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झालावाड को न्यायालय में झूंठी रिपोर्ट पेश करने के लिए संबंधित अधिकारी/कार्मिको से स्पष्टीकरण हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पर्चा डिकी जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(20)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 31/2013 दायर दिनांकः 21.03.2013

उनवान

1. सौभागमल आ० फूलचन्द जाति महाजन नि. कोटडी हाल सुनेल तहसील पिडावा

—वादी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा

प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 188, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषक—

अभिभाषक वादी — श्री हुकुमचन्द कुमावत

प्रतिवादी सं. 1 — पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....x.....रूबरू.....x..... मिनजानित मुदई रूबरू .....

ग्राम कोटडी तहसील पिडावा की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 758, 759, 760 कुल रकबा 0—12 बीघा भूमि के संबंध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झालावाड को न्यायालय में झूंठी रिपोर्ट पेश करने के लिए संबंधित अधिकारी/कार्मिको से स्पष्टीकरण हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:24 IST
Reason: SelfAttested

24/12/25

(दिनेश कुमार मीणा आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद वशारह ... ...X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 24.12.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
पिड़ावा जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.04 11:14:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner